न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 65/15 **निर्णय दिनांकः 29.08.2018**

1. गंगा पत्नी बेवा रामलाल
2. केसुराम पुत्र रामलाल
3. बगड़ाराम पुत्र रामलाल

जाति जाट निवासी चिताणा हाल काहिरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. मनफूलराम पुत्र डूंगरराम जाति जाट निवासी देराजसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू।
2. सुरजीत सिंह
3. सतनाम सिंह

पुत्रगण मेजर सिंह जाति जाटसिख निवासी चक 5 एलकेडी तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्या 65/15

1. गंगा पत्नी बेवा रामलाल
2. केसुराम पुत्र रामलाल
3. बगड़ाराम पुत्र रामलाल

जाति जाट निवासी चिताणा हाल काहिरा तहसील नोखा जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 12—02—1976 व दिनांक 27—05—1987
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपीलें सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 12—02—1976 व दिनांक 27—05—1987 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज करते हुए वादगत् भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. दोनों अपीलों में निस्तारण हेतु वैद्यानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा दिनांक 25—03—1975 को बतौर भूमिहीन भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 12—02—1976 को जरिये लॉटरी चक 4 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 184/44 के किला नम्बर 3, 6, 9, 11, 14 ता 17, 20 ता 25 में 14 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 12, 13 में 2 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 16 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। उक्त आवंटन पश्चात् अपीलांटा के पति को वादगत् भूमि का कब्जा भी दिनांक 25—11—1977 को प्रदान कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 14—03—1991, 22—05—1992 व 26—12—1996 को वादगत् भूमि की तमाम राशि भी जमा करवा दी गई।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन दिनांक 11—04—1987 को बिना नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा तौर पर यह लिखते हुए कि आवंटी द्वारा उक्त भूमि का कब्जा नहीं लेने के

कारण उक्त आवंटन निरस्त किया जाता है। जबकि उक्त खारिजी आदेश का सेल रजिस्टर में कोई नोट अंकित नहीं किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज करते हुए मात्र डेढ़ माह उपरान्त ही वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे अथवा विकल्प में अन्य भूमि का आवंटन किया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना

पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि केवल प्रार्थी का ही आवेदन पत्र है किसी अन्य व्यक्ति ने इस भूमि के लिए कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, प्रार्थी का आवेदन एकल है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की तमाम राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त करते हुए दिनांक 04—06—1999 को वादगत् भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 तीन को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के आवंटन को खारिज होने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के वादगत् भूमि पर हक व हकूक समाप्त हो चुके है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज रिकार्ड होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है।

राजकीय अभिभाषक ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 28 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर व गुणावगुण पर खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि अपीलांट द्वारा दिनांक 25—03—1975 को बतौर भूमिहीन भूमि आवंटन

हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा दिनांक 12—02—1976 को जरिये लॉटरी चक 4 एलकेडी के मुरब्बा नम्बर 184/44 के किला नम्बर 3, 6, 9, 11, 14 ता 17, 20 ता 25 में 14 बीघा कमाण्ड व किला नम्बर 12, 13 में 2 बीघा अनकमाण्ड भूमि इस प्रकार कुल 16 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा दिनांक 14—03—1991, 22—05—1992 व 26—12—1996 को वादगत् भूमि की तमाम राशि भी जमा करवा दी गई।

(2) तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को कब्जे के अभाव में दिनांक 11—04—1987 को खारिज करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 27—05—1987 को किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद रूप से उपलब्ध होने के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जाकर वादगत् भूमि की खातेदारी प्राप्त किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किया जा चुका है तथा वादगत् भूमि वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज रिर्काड है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का आवंटन दिनांक 11—04—1987 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि का कब्जा नहीं लिया गया है। जबकि आवंटन नियमों में यदि आवंटी द्वारा वादगत् भूमि का कब्जा नहीं लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवंटन खारिज किये जाने का प्रावधान निहित है। चूंकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसरण में अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया गया है।

(4) अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 27—05—1987 को किये जाने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किया जा

चुका है तथा वादगत् भूमि की खातेदारी भी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को प्राप्त हो चुकी है।

(5) प्रकरण में अपीलांट द्वारा स्वमेव यह कथन किया गया है कि अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में जब अपीलांट का आवंटन कब्जे के अभाव में खारिज होने के उपरान्त वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाकर वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपीलें खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27—05—1987 जिसके माध्यम से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया यथावत बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर